अर्द्धशा.परिपत्र संख्याः डीजी-35/2013

देवराज नागर
आई०पी०एस०

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः जुलाई 13 , 2013

प्रिय महोदय,

जनपदों में घटित सनसनीखेज, महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील घटनाओं की सूचना से जनपदीय प्रभारी पुलिस अधीक्षकों के स्तर से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराए जाने सम्बन्धी परिपत्र संख्याः डीजी-15/2013 दिनांकित 29.04.2013 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बाद भी जनपदों में घटित सनसनीखेज एवं संवेदनशील घटनाओं की सूचना समय से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जबकि मेरे द्वारा प्रतिदिन सभी जोनल पुलिस महानिरीक्षकों से दूरभाष पर वार्ता भी की जाती है। विगत कुछ दिनों में घटित निम्नांकित घटनाओं के बारे में जनपदीय पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षक अथवा अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/अपराध द्वारा भी अधोहस्ताक्षरी को अवगत नहीं कराया गया है :-

(1) दिनांक 25.6.13 को जनपद अलीगढ़ के प्रतिसार निरीक्षक एवं छर्रा विधायक व उनके साथियों के बीच हुई घटना के सम्बन्ध में मुझे किसी भी अधिकारी द्वारा अवगत नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि एक प्रकरण में मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ से उसी दिन दूरभाष पर वार्ता भी की गई थी, लेकिन उस समय भी उनके द्वारा इस घटना के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं दिया गया था ।

(2) दिनांक 8.7.13 को जनपद मिर्जापुर की मड़िहान पुलिस चौकी में महेश कोल की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में भी पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर अथवा किसी भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को समय से नहीं अवगत कराया गया।

(3) दिनांक 12.7.13 को जनपद औरैया के कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत आरा मशीन मालिक जहीर को गोली मारने की घटना घटित हुई, जिसमें कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गयी, किन्तु इस घटना के बारे में भी किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत नहीं कराया गया ।

2. शासन अथवा मीडिया द्वारा अचानक यदि ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में मुझसे जानकारी अथवा प्रतिक्रिया चाही जाती है तो तत्समय सूचना के अभाव में स्थिति असहज होना स्वाभाविक है। किसी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील घटना के घटित होने पर उसके दूरगामी परिणामों की ओर ध्यान न देते हुए इनकी उपेक्षा करना आपकी अदूरदर्शिता प्रदर्शित करता है, जो खेदजनक है। इस प्रकार की लापरवाही तथा परिपत्रों के माध्यम से दिये गये निर्देशों का उल्लंघन अक्षम्य एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु पर्याप्त है। साथ ही वार्षिक गोपनीय मन्तव्य अंकित करते समय इस प्रकार की लापरवाहीपूर्ण कार्यशैली का उल्लेख करने पर भी विचार किया जा सकता है ।

.....2/-

3. अतः मैं अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में आप अपने जनपद में घटित महत्वपूर्ण एवं सनसनीखेज घटनाओं की सूचना अपने परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षक तथा अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/अपराध को देने के बावजूद तत्काल मुझे सीधे दूरभाष पर देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक मुझे प्रातः दूरभाष पर ब्रीफिंग के समय सम्बंधित घटना के परिपेक्ष्य में कृत कार्यवाही सहित वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे, जिससे जनपदों में घटित घटनाओं के संदर्भ में मेरे पास अद्यावधिक सूचनायें उपलब्ध रहें और मेरे द्वारा आपका समुचित मार्गदर्शन भी किया जा सके।

4. मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और मुझे इस विषय पर पुनः आपको स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भविष्य में इस प्रकार की सूचना देने में किसी प्रकार के विलम्ब को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा ।

भवदीय,

(देवराज नागर)

13-7-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें, साथ ही स्वयं भी उपरोक्तानुसार प्रत्येक घटना के सम्बन्ध में संज्ञानित होते हुए तदनुसार मुझे भी अवगत करायें :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था एवं अपराध, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0